संख्या– 726 /38–7–2011–208एनआरईजीए/2007

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांक 09 फरवरी, 2011

विषयः– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत तकनीकी सहायकों के क्षमता संवर्द्धन हेतु राजकीय पालीटेक्निक संस्थानों में 15 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–970/नरेगा सेल–65टीसी–3/2011 दिनांकः 04–02–2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के स्तर पर तकनीकी सहायकों के क्षमता संवर्द्धन हेतु राजकीय पालीटेक्निक संस्थानों के संसाधनों का उपयोग करने हेतु योजनान्तर्गत तकनीकी सहायकों के प्रशिक्षण पर सहमति दी गयी है। उक्त सहमति के अनुक्रम में शासन ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि तकनीकी सहायकों के प्रशिक्षण में प्रति प्रशिक्षार्थी अनुमानित लागत लगभग रू0 3000/–, जिसमें 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाना है, को यथावत स्वीकार करते हुए तथा प्रति प्रशिक्षण माड्यूल में ग्रामीण क्षेत्र के सम्पर्क मार्गों में पेंटिंग के स्थान पर ग्रेवेल रोड तथा काम्पेक्शन को समाहित करते हुए प्रस्ताव पर शासन की सहमति प्रदान की जाती है।

3– कृपया तद्नुसार प्रशिक्षण की कार्यवाही आगामी 15 दिन में प्रारम्भ करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Manoj 9.2.11

(मनोज कुमार सिंह)
सचिव।

संख्याः– 726 (1)/38–7–2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त परियोजना निदेशक, डीआरडीए उत्तर प्रदेश।
(7) गार्डबुक।

आज्ञा से

(आर0पी0सिंह),
अनुसचिव।

E/ch\ GO\GO Jan-2011